संख्या-4/2018/335/18-4-2018-8(4)/89टी0सी0

प्रेषक,

पन्ना लाल,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उ0प्र0 इन्स्टीट्यूट आफ डिजाइन,
लखनऊ।

सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-4 लखनऊः दिनांकः 23मार्च,2018

विषय- वित्तीय वर्ष 2017-18 में उ0प्र0 इन्स्टीट्यूट आफ डिजाइन,लखनऊ के नवीन भवन के निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक नोडल अधिकारी, उ0प्र0 इन्स्टीट्यूट आफ डिजाइन, लखनऊ के पत्र संख्या-193/यू0पी0आई0डी0(ल)/2017-18, दिनांक 26-2-2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0 इन्स्टीट्यूट आफ डिजाइन, लखनऊ के नवीन भवन के निर्माण हेतु शासनादेश संख्या-39/2016/ 1748/18-4-2016-8(4)/89टी0सी0, दिनांक 07-10-2016 द्वारा रू0 4958.50 लाख (रूपये उन्चास करोड अट्ठावन लाख पचास हजार) मात्र की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रू0 1500.00 लाख (रू0 पन्द्रह करोड़) मात्र की धनराशि की प्रथम किश्त के रूप में स्वीकृति प्रदान की गयी है। तत्क्रम में वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रू0 10.00 करोड़ (रूपये दस करोड) मात्र की धनराशि द्वितीय किश्त के रूप में निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन आपके निवर्तन पर रखते हुए व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

1- उक्त स्वीकृत धनराशि को आहरित कर कार्यदायी संस्था उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 के प्रबंध निदेशक के माध्यम से परियोजना प्रबंधक, निर्माण इकाई-19, लखनऊ को उपलब्ध करायी जायेगी।

2-उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग पूर्व निर्धारित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत मार्ग-दर्शक सिद्धान्तों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का अन्य मद में व्यावर्तन किसी भी दशा में अनुमन्य न होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया हैइ :अत ,स पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3- उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि सक्षम अधिकारी की वास्तविक मांग पर आहरित की जायेगी तथा उक्त धनराशि केवल उपर्युक्त स्वीकृत योजना पर ही व्यय की जायेगी। किसी भी दशा में स्वीकृत धनराशि अथवा उसके किसी अंश का उपयोग अन्य मदों/अन्य योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु नही किया जायेगा ।

4- उपरोक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण करने के पूर्व यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत योजना/कार्य किसी अन्य योजना से स्वीकृत नहीं हुआ/हो रहा है।

5- योजनान्तर्गत स्वीकृत धनराशि को पी0एल0ए0/डिपार्टमेंट खाता में जमा नहीं किया जायेगा।

6- उपरोक्त स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष होने वाले व्यय का नियंत्रण, वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 6 जून,1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

7- व्यय प्रबंधन एवं शासकीय व्यय में मितव्यतिता के सम्बंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के साथ-साथ उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तो की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानको (स्टेण्डर्डस ऑफ फाईनेन्शियल प्रोप्राइटरी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।

8- स्वीकृत धनराशि के व्यय के सम्बंध में वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017-बी-1-1190/दस-2017-231/2017,दिनांक 03-08-2017 एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता सम्बंधी वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किये गये शासनादेशों में उल्लिखित निर्देशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जायेगा।

9- स्वीकृत धनराशि का मदवार मासिक व्यय विवरण शासन के विशेष सचिव वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-6 एवं सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग उ0प्र0 शासन को प्रपत्र बी-एम-13 में पूर्णतया भरकर उपलब्ध कराया जायेगा ।

10- स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार (लेखा परीक्षा)-1 एवं 2 उ0प्र0 इलाहाबाद तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग उ0प्र0 शासन को धनराशि व्यय किये जाने के एक माह के भीतर उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा ।

11-प्रायोजनान्तर्गत निर्माण कार्य हेतु शासनादेश संख्या-39/2016/1748/18-4-2016-8(4)/89टी0सी0, दिनांक 07-10-2016 में निर्धारित मार्गदर्शक सिद्वांतो/शर्तो का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। निर्धारित सिद्वांतो/शर्तो का विचलन किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं होगा।

12- उक्त कार्य पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक अनुदान संख्या-3 के अधीन लेखाशीर्षक-4851-ग्राम एवं लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय-104-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया हैइ :अत ,स पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

हस्तशिल्प उद्योग-04-क्राफ्ट डिजाइन शैक्षिक संस्थान-24-वृहत निर्माण कार्य'' के नामे डाला जायेगा।

13-यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-8/2017-बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक 03-08-2017 में दी गयी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(पन्ना लाल)
उप सचिव।

संख्या-335(1)/18-4-2018, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-:

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।

2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।

3- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा-।)सी0ए0एस0एस0-3/टी0डी0ए0 कोआर्डिनेशन, उ0प्र0 इलाहाबाद।

4- कोषाधिकारी, लखनऊ ।

5- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यकीय निदेशालय, 125 जवाहर भवन, लखनऊ ।

6- आयुक्त एवं निदेशक उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय उ0प्र0 कानपुर।

7-अपर आयुक्त उद्योग, लखनऊ मण्डल लखनऊ।

8-नोडल अधिकारी, यू0पी0आई0डी0 लखनऊ।

9-वित्त नियंत्रक, उ0प्र0 उद्योग निदेशालय, कानपुर।

10-वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-6/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/लघु उद्योग अनुभाग-3/ गोपन अनुभाग-1

11-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(पन्ना लाल)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया हैइ :अत ,स पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।